उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण पत्र

(सी.सी.पी)

सत्रीय कार्य

जनवरी, 2023 और जुलाई, 2023

विधि विद्यापीठ

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

मैदान गढ़ी, नई दिल्ली–110068

उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण पत्र

(सी.सी.पी.)

प्रिय विद्यार्थी,

विश्वविद्यालय के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आपको एक सत्रीय कार्य पूरा करना है।

आप पाएंगे कि सत्रीय कार्यों में दिए गए प्रश्न विश्लेषणात्मक (analytical) और वर्णनात्मक (descriptive) हैं ताकि आप अवधारणाओं को बेहतर ढंग से जान और समझ सकें।

यह महत्त्वपूर्ण है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। स्मरण रहे कि सत्रीय कार्य के प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपके लेखन कौशल में सुधार होगा और आप सत्रांत परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।

स्त्रीय कार्य जमा कराना

आपको अपने अध्ययन केंद्र के संचालक (Co-ordinator) के पास सत्रीय कार्य जमा कराने हैं। आपको जमा कराए गए सत्रीय कार्यों के लिए अध्ययन केंद्र से रसीद अवश्य लेनी चाहिए और इसे अपने पास रखना चाहिए। आप जो सत्रीय कार्य जमा कराएं, कृपया उसकी फोटोकॉपी अपने पास अवश्य रखें।

मूल्यांकन करने के बाद, अध्ययन केंद्र आपको सत्रीय कार्य लौटा देगा। कृपया जाँचे गए सत्रीय कार्यों के लिए आग्रह कीजिए। अध्ययन केंद्र इग्नू स्थित विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, नई दिल्ली को अंक भेजेगा।

आपको अपने अध्ययन केंद्र में नीचे लिखे अनुसार सत्रीय कार्य जमा कराने हैं :

जनवरी के लिए 30 अप्रैल, 2023

जुलाई के लिए 30 सितम्बर, 2023 तक

सत्रीय कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश

हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्रीय कार्य में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। आपको इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा :

1) **योजना :** सत्रीय कार्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उन इकाइयों का अध्ययन कीजिए जिन पर वे आधारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कुछ बिंदु तैयार कीजिए और फिर उन्हें तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

2) **आयोजन :** अपने उत्तर की कच्ची रूपरेखा तैयार करने से पहले थोड़ा चयन और विश्लेषण कीजिए। प्रश्न की प्रस्तावना (परिचय) और निष्कर्ष पर पर्याप्त ध्यान दीजिए।

यह सुनिश्चित कर लें कि :

क) उत्तर तर्कसंगत और उपयुक्त है।

ख) वाक्यों और पैराग्राफों का स्पष्ट मेल है।

ग) आपकी अभिव्यक्ति में प्रस्तुतिकरण सही है।

3) **प्रस्तुतिकरण :** एक बार अपने उत्तर से संतुष्ट होने पर आप सत्रीय कार्य जमा कराने के लिए अंतिम रूप (पाठ) लिख सकते हैं। **अपनी लिखाई में सभी सत्रीय कार्य स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है।** यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप जिन बिन्दुओं पर जोर देना चाहते हैं, उनको रेखांकित कीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि आपका उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में होना चाहिए।

शुभकामनाओं के साथ

कार्यक्रम संचालक (सी.सी.पी.)

सी.पी.आइ 101ः उपभोक्ता एवं उपभोक्ता संरक्षण विधान

पाठ्यक्रम कोड : सी.पी.आई–101

सत्रीय कार्य कोड : सी.पी.आई–101/टीएमए/2023

कुल अंक : 100

सभी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न्र 10 अंक के है।

1. भारत में उपभोक्ता आंदोलन के इतिहास एवं वृद्धि की चर्चा कीजिए।

2. आर्थिक पर्यावरण के विभिन्न आयामो की चर्चा कीजिए।

3. केस विधियों की सहायता से भ्रामक विज्ञापन के अर्थ को समझाएं और चर्चा करें।

4. उपभोक्त के अधिकारों की सविस्तार से चर्चा कीजिए।

5. उपभोक्ता कौन है निर्णीत केस विधियों की सहायता से चर्चा कीजिए।

6. भारत में उपभोक्ता जागरूकता के स्तर और उपभोक्ता जिम्मेदारी पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।

7. उपभोक्ता शिक्षा वितरण तंत्र पर एक नोट लिखें ।

8. उपभोक्ता सशक्तीकरण पर एक नोट लिखिए।

9. उपभोक्ता आंदोलन में वदलते रूझाानों पर चर्चा करें।

10. संक्षिप्त नोट लिखिए।

;कद्ध विधिक मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009

;खद्ध उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत

सी.पी.आई 102: उपभोक्ता शिकायतो का निवारणः विभिन्न हितधारकों की भूमिका

पाठ्यक्रम कोड : सी.पी.आई–102

सत्रीय कार्य कोड : सी.पी.आई–102 / टीएमए / 2023

कुल अंक : 100

सभी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न्न 10 अंक के है।

1. बैंक लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के विविध आधार कौन से हैं। चर्चा कीजिए।

2. राज्य सरकार एवं निकायों द्वारा प्रदत्त उपभोक्ता कल्याणकारी निधि के तहत विविध योजनाओं की चर्चा कीजिए।

3. स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन ;वी.सी.ओद्ध के प्रकार्यो की चर्चा कीजिए।

4. उपभोक्ता कार्यकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियों पर चर्चा कीजिए।

5. फेडरेशन ऑफ इंडियन चौम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) पर चर्चा कीजिए।

6. विज्ञपनों को नियंत्रित करने वाले विविध कानूनों की चर्चा कीजिए।

7. उन क्षेत्रों पर चर्चा कीजिए जो उपभोक्ता मुद्दो और विवादों के लिए अधिक प्रवण हैं।

8. मध्यस्थता की व्याख्या, उसके प्रकार और चरणों सहित कीजिए।

9. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर नोट लिखिए।

10. संक्षिप्त नोट लिखिएः

;कद्ध उपभोक्ता इंटरपोल।

;खद्ध ग्राहक सुविधा केंद्र।

सी.पी.आइ 103ः उपभोक्ता संरक्षण मुद्दे

पाठ्यक्रम कोड : सी.पी.आई–103

सत्रीय कार्य कोड : सी.पी.आई–103 / टीएमए / 2023

कुल अंक : 100

सभी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न्न 10 अंक के है।

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनिय के तहत उल्लिखित निवारण तंत्रो की चर्चा कीजिए।

2. उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2005 के सार पर चर्चा करें।

3. विविध बीमा दावे करने की कार्यविधि एवं औपचारिकताओं की सविस्तार चर्चा कीजिए।

4. रेलवे में बुक किए टिकट ;टी.डी.आरद्ध के रिफंड के आधार और रेलवे के रिफंड नियमों की चर्चा कीजिए।

5. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अधिनियमन पर नोट लिखिए।

6. यूनाइटेड किंग्डम और ऑस्ट्रेलिया देशों में उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की संक्षेप चर्चा कीजिए।

7. चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के तहत वी. कृष्ण कमार वनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य ;2009 की सिविल अपील संख्या 8065 की चर्चा कीजिए।

8. बैंकिग लोकपाल योजना ;1995, 2002 और 2006 पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

9. आवास से संबंधित उपभोक्ता कानून निर्णयों पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

10. संक्षिप्त नोट लिखिएः

;कद्ध उपभोक्ता के कर्तव्य।

;खद्ध एफएसएस अधिनियम, 2006 का सामान्य ढांचा।